न्यायालय : अति॰ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दूदू, जिला–जयपुर

....

पीठासीन अधिकारी – प्रीति चौधरी, आर0जे0एस0 निर्णय दिनांक – 04.05.2026 मुकदमा नम्बर – 520/23 (एन.सी.वी. नं. 887/23) एफआईआर नम्बर – 77/2023, पुलिस थाना दूदू

परिवादी	राजस्थान सरकार
द्वारा प्रस्तुत	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	राजेश कुमार पुत्र नन्दकिशोर शर्मा, उम्र 33 साल, निवासी श्रीरामपुरी निवारू रोड झोटवाड़ा, थाना झोटवाड़ा, जिला जयपुर।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री मोहित कुमार सैन
अधिवक्ता परिवादिया	श्री नारायण सहाय पारीक

ख

अपराध की दिनांक	–
एफ.आई.आर. की दिनांक	06.03.2023
आरोप पत्र की दिनांक	20.11.2023
आरोप विरचना की दिनांक	02.05.2026
साक्ष्य आरम्भ की दिनांक	02.05.2026
दिनांक, जिस पर निर्णय सुरक्षित रखा जाता है	–
निर्णय का दिनांक	04.05.2026
दण्डादेश, यदि कोई, की दिनांक	–

ग: अभियुक्तगण विवरण

अभियुक्त का कमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी का दिनांक	जमानत पर रिहाई का दिनांक	आरोपित अपराध या दोषसिद्धि	क्या दोषमुक्ति	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौरान भुगती निरोध अवधि
1.	राजेश कुमार	–	–	धारा 498ए, 406, 323, 342 भा0दं0सं0	दोषमुक्त	–	–

भाग – 2

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	अदिती दाधीच	परिवादिया
2.	शिवराज शर्मा	समर्थन साक्षी

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :

अनु. क्र.	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	प्रदर्श पी 1	तहरीरी रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी 2	चाक एफआईआर
3.	प्रदर्श पी 3	दहेज सामान सूची
4.	प्रदर्श पी 4	फर्द बरामदगी व जप्ती दहेज सामान
5.	प्रदर्श पी 5	फर्द अस्थाई सुपुर्दगी दहेज का सामान
6.	प्रदर्श पी 6	गवाह अदिती दाधीच के बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी
7.	प्रदर्श पी 67	गवाह शिवराज शर्मा के बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी

निर्णय **दिनांक : 04.05.2026**

01. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.03.2023 को परिवादिया अदिती दाधीच पुत्री शिवराज शर्मा ने उपस्थित थाना होकर एक टाइपशुदा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 इस आशय की पेश की, कि प्रार्थीया का विवाह दिनांक 06.02.2017 को राजेश कुमार पुत्र नन्दकिशोर शर्मा निवासी श्रीरामपुरी प्लाट नंबर 62 झोटवाड़ा, जयपुर के साथ ग्राम दूदू में सम्पन्न हुआ था। विवाह के पश्चात प्रार्थीया को उसके ससुराल वालों द्वारा कुछ समय तक तो ठीक रखा परन्तु कुछ समय पश्चात प्रार्थीया के पिता द्वारा विवाह में कम दहेज दिये जाने की बात को लेकर प्रार्थीया के ससुराल वाले प्रार्थीया की सास उषा देवी व उसकी ननद कमलेश देवी ताने मारने लगी तथा प्रार्थीया के पति व ससुर द्वारा प्रार्थीया को कहा जाने लगा कि वह अपने पिता से रूपये लेकर आये नहीं तो वह प्रार्थीया का जीना हराम कर देंगे। ये सब लोग आये दिन दहेज की मांग को लेकर प्रार्थीया के साथ गाली–गलौच व मारपीट करते, परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए सब कुछ बर्दाश्त करती रही। इसी दौरान प्रार्थीया प्रथम बार गर्भवती हुई। प्रार्थीया का पति जो कि कीटनाशक दवाइयों का काम करता है, के द्वारा कीटनाशक दवाइयां जबरन प्रार्थीया को दी गई जिससे कि प्रार्थीया का गर्भपात हो जाये। ऐसा नहीं होने पर उन लोगों ने गर्भावस्था के अंतिम क्षणों में प्रार्थीया को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया, तब प्रार्थीया अपने पिता के यहां चली गई। पिता द्वारा समझाने पर

....

पुनः प्रार्थीया को उसके ससुराल भेजा गया, जहां पर प्रार्थीया के ससुराल वालों की लापरवाही से उसकी बच्ची की जन्म लेते ही कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई। उसके पश्चात् उन लोगों द्वारा प्रार्थीया को और अधिक पेरशान किया जाने लगा, जब प्रार्थीया के पिता व उसके परिवार वाले समझाइश के लिये आते तो प्रार्थीया के ससुराल वाले उनके साथ गाली–गलौज व मारपीट करने पर उतारू हो जाते थे एवं प्रार्थीया के पिताजी को धमकी दी जाती थी कि वह प्रार्थीया को जान से खत्म कर देंगे। इस पर प्रार्थीया के पिता द्वारा सामाजिक स्तर पर समझाइश कई बार करवायी जाकर प्रार्थीया को उसके ससुराल भेज दिया जाता, इसी दौरान प्रार्थीया के दो पुत्र गोरांश व वैदान्श हुए, परंतु ससुराल वालों द्वारा प्रार्थीया के साथ दहेज की मांग को लेकर आये दिन मारपीट की जाने लगी। प्रार्थीया को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। प्रार्थीया को कई दिनों तक भोजन नहीं दिया जाता। दिनांक 05.03.2023 से दिनांक 06.03.2023 तक आज दिनांक तक लगातार प्रार्थीया के ससुराल वाले उसका पति, ननद व ससुर द्वारा प्रार्थीया को कमरे में बंद करके दहेज की मांग को लेकर मारपीट की गई। जिसके पश्चात् प्रार्थीया द्वारा जैसे–तैसे पुलिस के हैल्पलाइन नंबर 100 पर फोन करने पर झोटवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंच कर प्रार्थीया का बचाव किया तथा प्रार्थीया के पिता को सूचना दी गई। जिस पर प्रार्थीया व उसके पिता प्रार्थीया के पास थाना झोटवाड़ा पहुंच कर प्रार्थीया व उसके दोनों बच्चों को ग्राम दूदू लेकर आये तथा उपजिला अस्पताल दूदू में मारपीट में आई चोटों का ईलाज करवाया। उन लोगों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रार्थीया को लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा है तथा कीटनाशक दवाइयां देकर प्रार्थीया को जान से मारने का प्रयास किया गया है.......... इत्यादि।

02. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना दूदू द्वारा अभियोग संख्या 77/2023 अंतर्गत धारा 323, 406, 498ए भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कर, बाद अनुसंधान अभियुक्त राजेश कुमार के विरुद्ध धारा 498ए, 406, 323, 342 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दिनांक 20.11.2023 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए, 406, 323, 342 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया।

....

प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा पेश होने पर अभियुक्त को धारा 406, 323, 342 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है एवं अब प्रकरण में मात्र धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के संबंध में निर्णय पारित किया जा रहा है।

03. बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 02.05.2026 को अभियुक्त को धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया जिस पर अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. प्रकरण में अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में कुल 02 गवाह परीक्षित करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 07 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। प्रकरण में राजीनामा होने व परिवादिया सहित, अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण के पूर्णत पक्षद्रोही हो जाने व अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन साक्ष्य बन्द की गई।

05. दिनांक 04.05.2026 को अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना व स्वयं को झूंठा फंसाया जाने बताते हुए, साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा।

06. बहस उभय पक्ष सुनी गयी। विद्वान अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होने का तर्क देते हुए उसे दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

07. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का निवेदन है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है, परिवादिया सहित अभियोजन के महत्वपूर्ण गवाह पक्षद्रोही हुए हैं एवं परिवादी पक्ष से राजीनामा भी हो चुका है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

08. न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

1. "क्या अभियुक्त ने परिवादिया श्रीमती अदिती दाधीच के साथ दिनांक 06.02.2017 को हुए विवाह के पश्चात् भिन्न–भिन्न समय पर उसका पति होते हुए अवैध दहेज की मांग करते हुए उक्त मांग की पूर्ति नहीं होने पर उसको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित कर, दण्डनीय अपराध कारित किया ?"

2. यदि हाँ, तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र है?

09. विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन, विश्लेषण व मूल्यांकन किया गया। गवाह **पी॰डब्ल्यू॰–1 अदिति दाधीच,** स्वयं प्रकरण की परिवादिया है, जो अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर पक्षद्रोही हुई है। उक्त गवाह ने **अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि** उसका विवाह दिनांक 06.02.2017 को राजेश कुमार पुत्र नंदकिशोर शर्मा के साथ दूदू में हुआ था। शादी के थोड़े दिन बाद से ही उसके तथा उसके पति के मध्य छोटी–छोटी बातों को लेकर कहासुनी होने लग गई। उसके पति तथा ससुराल वालों ने दहेज की कोई मांग नहीं की थी। उसके साथ उसके पति द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई। उसे कमरे में बंद नहीं किया। उसने आवेश में आकर रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। उसके द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है। विवाह में दिए गए सामान की लिस्ट प्रदर्श पी 3 है। फर्द बरामदगी एवं जप्ती प्रदर्श पी 4 है। फर्द अस्थाई सुपुर्दगी दहेज का सामान प्रदर्श पी 5 है। उक्त सभी फर्दों पर उसके हस्ताक्षर है। उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे। अभियोजन अधिकारी द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी 6 पर ए से बी भाग पर उसका ही नाम व पता लिखा हुआ है व सी से डी भाग उसने पुलिस को नहीं बताया। आज उसका अभियुक्त राजेश कुमार से राजीनामा हो गया है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने इन सुझावों को सही होना बताया है कि राजेश ने उससे दहेज की मांग नहीं की, न ही उसके साथ मारपीट की, न ही उसे कमरे में बंद किया और न ही उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। गवाह ने आगे यह भी कथन किया है कि उनका राजीनामा हो गया है। वह प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

10. गवाह **पी॰डब्ल्यू॰–2 शिवराज शर्मा** गवाह पी.डब्ल्यू.–01 अदिति दाधीच का पिता है। उक्त गवाह भी पक्षद्रोही हुआ है। उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दी है कि उसकी बेटी का विवाह दिनांक 06.02.2017 को राजेश कुमार पुत्र श्री नंदकिशोर शर्मा के साथ दूदू में हुआ था। शादी के थोड़े दिन बाद से ही उन दोनों के मध्य छोटी–छोटी बातों को लेकर कहासुनी होने लग गई। उसकी बेटी के पति ने दहेज की कोई मांग नहीं की थी। उसकी बेटी के साथ राजेश द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई। उसे कमरे में बंद नहीं किया। उसने आवेश में

आकर रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। उसके द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है। फर्द बरामदगी एवं जप्ती प्रदर्श पी 4 है। फर्द अस्थाई सुपुर्दगी दहेज का सामान प्रदर्श पी 5 है। उक्त सभी फर्दों पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन अधिकारी द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी 7 पर ए से बी भाग पर उसका ही नाम व पता लिखा हुआ है व सी से डी भाग उसने पुलिस को नहीं बताया। आज उसकी बेटी का अभियुक्त राजेश कुमार से राजीनामा हो गया है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने इन सुझावों को सही होना बताया है कि राजेश ने उसकी पुत्री अदिती से दहेज की मांग नहीं की, न ही उसके साथ मारपीट की, न ही उसे कमरे में बंद किया और न ही उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। गवाह ने आगे यह भी कथन किया है कि उसकी पुत्री अदिती व राजेश के मध्य राजीनामा हो गया है। वह प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।

11. इस प्रकार उक्त गवाहान् की साक्ष्य का सूक्ष्मता से विवेचन किया जावे तो गवाह पी.डब्ल्यू.–1 अदिती दाधीच प्रकरण की परिवादिया एवं महत्वपूर्ण गवाह है। उक्त गवाह पक्षद्रोही हुई है। गवाह ने स्पष्ट साक्ष्य दी है कि छोटी–छोटी बातों पर उसके पति से कहासुनी होने के कारण उसने आवेश में आकर रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। गवाह ने ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है कि अभियुक्त ने कम दहेज का ताना दिया हो, दहेज की मांग के लिए मारपीट की हो, उसे कमरे में बंद किया हो व उसे घर से निकाल दिया हो। इस प्रकार गवाह प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 की पुष्टि नहीं करती है। पारिवारिक प्रकरणों में परिवादिया की साक्ष्य महत्वपूर्ण होती है परंतु हस्तगत प्रकरण में परिवादिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है। गवाह **पी०डब्ल्यू०–2 शिवराज शर्मा** परिवादिया का पिता है। उक्त गवाह ने भी अभियुक्त राजेश कुमार से छोटी–छोटी बातों को लेकर कहासुनी होने के कारण उसकी बेटी द्वारा आवेश में आकर रिपोर्ट दर्ज कराना बताया है। गवाह ने अभियुक्त द्वारा परिवादिया को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है। उक्त गवाह भी महत्वपूर्ण गवाह है परंतु गवाह ने अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की है।

12. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह पक्षकारों के मध्य राजीनामा होना

बताते हैं। अतः इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राजीनामा होने से गवाहों ने अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की हो।

13. अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त राजेश कुमार को अपराध अंतर्गत **धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में **दोषमुक्त** किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

14. परिणामतः अभियुक्त **राजेश कुमार पुत्र नन्दकिशोर शर्मा,** उम्र 33 साल, निवासी श्रीरामपुरी निवारू रोड झोटवाड़ा, थाना झोटवाड़ा, जिला जयपुर को अपराध अंतर्गत धारा **498ए भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है तथा धारा **406, 323, 342 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप से अभियुक्त को जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व के प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

15. प्रकरण में जब्तशुदा स्त्रीधन पूर्व में दौराने अनुसंधान परिवादिया अदिती दाधीच को सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है। जो सुपुर्दगीदार के पास रहे।

(प्रीति चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दूदू, जिला जयपुर

16. निर्णय/आदेश आज **दिनांक 04 मई, 2026** को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रीति चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दूदू, जिला जयपुर

—0—